रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2009/पौष 9, 1931
No. 257] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2009/PAUSA 9, 1931

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2009

सं भाराराप्रा/11012/147/2009-एचआर. I.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) तृतीय संशोधन विनियम, 2009 से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिसूचना सं. भाराराप्रा/11012/147/2009-एचआर. I, जो 25 नवम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), में :—

(क) उक्त अधिसूचना में उल्लिखित तारीख "नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2009" को "नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2009" पढ़ा जाए ।

(ख) उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के उप-पैरा (2) में आए "कालम 2" शब्द और अंक को "कालम 4" पढ़ा जाए ।

के. एस. मणि, सदस्य (प्रशासन)
[विज्ञापन III/4/122/2009/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना सं. भाराराप्रा/11012/147/2009-एचआर. I, तारीख 25 नवम्बर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 25 नवम्बर, 2009 को किया गया था ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस शुद्धि-पत्र की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप हो गई किसी बात पर इस शुद्धि-पत्र के प्रख्यापन का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

CORRIGENDA

New Delhi, the 29th December, 2009

No. NHAI/11012/147/2009-HR.I.— In the National Highways Authority of India Notification No. NHAI/11012/147/2009-HR.I., pertaining to National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 2009, published on 25th November, 2009, in the Gazette of India, Part III, Section 4 (hereinafter referred to as the said notification) :—

(a) The date of the said notification mentioned as "New Delhi, the 23rd October, 2009" may be read as "New Delhi, the 23rd November, 2009".

(b) In sub-para (2) of para 1 of the said notification, the word and figure "Column 2" may be read as "Column 4".

K.S. MONEY, Member (Admn.)
[ADVT III/4/122/2009-Exty.]

Foot Note : The principal regulations were published *vide* Notification No. NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended *vide* Notification No. NHAI/11012/147/2009-HR.I, dated 25th November, 2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th November, 2009.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Anything done or omitted to be done prior to notification of this corrigendum shall not be affected by promulgation of this corrigendum.

4746 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2009/अग्रहायण 4, 1931
No. 221] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2009/AGRAHAYANA 4, 1931

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2009

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) तृतीय संशोधन विनियम, 2009

सं. भाराराप्रा/11012/147/2009-एच.आर.1.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) तृतीय संशोधन विनियम, 2009 कहलाए जाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 के पैरा 6 और 7 में निर्धारित वेतनमान समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में निर्धारित तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) के विनियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम, विनियम 13 के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(13) आमेलन : (1) आमेलन के लिए केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जाएगा जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के समय उस पद के लिए निर्धारित अर्हताओं और पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हों ।

(2) महाप्रबंधक और उससे निचले स्तर पर, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के मामलों पर आमेलन के लिए विचार किया जा सकेगा ।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्यमान संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित आमेलन, सीधी भर्ती और लेटरल इंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्ति, महाप्रबंधक और उससे निचले स्तर के मामलों में किसी भी समय, स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और आमेलन, सीधी भर्ती, लेटरल इंट्री के माध्यम से की गई सीधी भर्ती आने वाले वर्षों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए चरणबद्ध रूप में की जाएगी ।

(4) स्थायी संवर्ग बल को बढ़ाने के लिए भर्ती प्रक्रिया का क्रम पदोन्नति, आमेलन और पार्श्व प्रवेश (लेटरल इंट्री) होगा, अर्थातः यदि पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो आमेलन किया जाएगा और आमेलन के लिए उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों के समापन पर, पार्श्व प्रवेश (लेटरल इंट्री) प्रक्रिया को अपनाया जाएगा । स्थायी संवर्ग बल को बढ़ाते समय, सर्वप्रथम फीडर संवर्गों को बढ़ाया जाए और तत्पश्चात् उच्चतर संवर्गों को बढ़ाया जाए ताकि निचले संवर्गों के लिए प्रगति के मार्ग (कैरियर प्रग्रेशन) बंद न होने पाएं ।

(5) आमेलन के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे :-

(क) प्राधिकरण में अधिकारी को रोककर रखने की आवश्यकता ।

(ख) महाप्रबंधक और इससे निचले स्तर के पदों पर प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दो वर्ष की निरंतर सेवा ।

(ग) अधिकारी की इच्छा ।

(घ) मूल विभाग में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की सहमति ।

(ड़) निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के संबंध में सांविधिक आरक्षणों का अनुपालन करना ।

(च) प्राधिकरण में कार्यरत अवधि के दौरान अधिकारी का कार्यप्रदर्शन और उपलब्धियाँ ।

(छ) जिस वर्ष में अधिकारी के आमेलन के मामले पर विचार किया जा रहा है उस वर्ष की पहली जनवरी को उस अधिकारी के आयु 56 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

(ज) प्राधिकरण और मूल विभाग से सतर्कता संबंधी अनुमति । अधिकारी को किसी भी विभागीय जाँच के अंतर्गत कोई दंड नहीं दिया गया होना चाहिए ।

(6) अधिकारियों के आमेलन के संबंध में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

(7) इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की ढील देने की शक्ति प्राधिकरण के पास रहेगी ।"

3. मूल विनियम के नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"18. रोजगार की शर्तें - सलाहकारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति की अवधि और उन को भुगतान की जाने वाली फीस से संबंधित मामलों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा और ऐसे सलाहकार/परामर्शदाता को कोई विशेष कार्य सौंपने से पहले भावी सलाहकार/परामर्शदाता के साथ एक करार किया जाएगा ।

बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी सलाहकार/परामर्शदाता (जो सलाहकारों/परामर्शदाताओं की फर्म न हो) की नियुक्ति नहीं की जाएगी । तथापि आवश्यकता पड़ने पर, प्राधिकरण 65 वर्ष की अधिकतम आयु में ढील देते हुए वित्तीय विश्लेषक, परिवहन अर्थशास्त्री, संविदा प्रबंध विशेषज्ञ और विधि विशेषज्ञ के पदों पर, ऐसे प्रतिफल पर जिसे विशेषज्ञ के अनुभव और उसकी उपलब्धता के आधार पर नियत किया जाएगा, बाहर से विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है ।"

4. मूल विनियम की अनुसूची में, निम्नलिखित पदों के लिए निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंड और अर्हताएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

"कार्यपालक निदेशक"

5. मुख्य महाप्रबंधक/सीजीएम स्तर के स्वीकृत **कुल 39** पदों में छह पदों का पुनर्विनियोजन करते हुए कार्यपालक निदेशक के छह पद सृजित किए **गए हैं** ।

6. मूल विनियम की अनुसूची में, निम्नलिखित पदों के लिए निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंड और अर्हताएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

"महाप्रबंधक (परिवहन अर्थशास्त्री)
महाप्रबंधक (परिवहन योजनाकार)
महाप्रबंधक (भूमि अर्जन और संपदा प्रबंधन)
महाप्रबंधक (पर्यावरण)
महाप्रबंधक (इलेक्ट्रानिक्स)
उप महाप्रबंधक (पर्यावरण)
सहायक प्रबंधक (सतर्कता)
सहायक प्रबंधक (प्रशासन)
कनिष्ठ लेखाधिकारी
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक"

मूल विनियम की अनुसूची में, निम्नलिखित पदों के लिए निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंड और अर्हताएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

"उप महाप्रबंधक (तकनीकी)"

के. एस. मणि, सदस्य (प्रशासन)

[सं. विज्ञापन III/4/असा./122/09]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या भाराराप्रा/11011/09/2009-एचआर.I, तारीख 13 अक्तूबर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 13 अक्तूबर, 2009 में किया गया था ।

IndiaCode

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई बात पर इस संशोधन का प्रख्यापन नहीं पड़ेगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
कार्यपालक निदेशक*	6 (छह)	समूह-क	37400-67000/-रुपये (पीबी-4), श्रेणी वेतन 10000/-रुपये	खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	भर्ती के मानदंड
6	7	8
लागू नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री **अनिवार्य अनुभव** (i) समूह "क" (जिस का श्रेणी वेतन 5400/- रुपए अथवा उच्चतर हो) में 20 वर्ष का अनुभव । और (ii) राजस्व मामले, भूमि अर्जन और बुनियादी संरचना में संविदा प्रबंधन में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव ।	**खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से चयन:** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के अधीन सदृश पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** चयन होने पर नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 3 वर्षों की होगी जिसे संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सरकार के अनुमोदन से अगले 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा । अपेक्षित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अधिकारी की दूसरी बार नियुक्ति होने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

IndiaCode

* मुख्य महाप्रबंधक/सीजीएम स्तर के स्वीकृत कुल 39 पदों में छह पदों का पुनर्विनियोजन करते हुए, कार्यपालक निदेशक के छह पद सृजित किए गए हैं ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (परिवहन अर्थशास्त्री)	1 (एक)	समूह-क	पीबी-4 (37400-67000/-रुपये), श्रेणी वेतन 8700/- रुपये	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ संविदा

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ संविदा के मामले में
6	7	8
48 वर्ष	**शैक्षिक योग्यता** **अनिवार्य :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर । **अनुभव** **अनिवार्य:** दायित्व वाले किसी वरिष्ठ पद पर 12 वर्ष की सेवा होनी चाहिए जिसमें से परिवहन क्षेत्र अधिमान्यतः सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं में वित्तीय मूल्यांकक/ आर्थिक विश्लेषक का न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव ।	केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में पीबी-4 (37400-67000/-रुपये) के वेतनमान और श्रेणी वेतन 8700/-रुपये (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) में सदृश पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत अथवा वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 7600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके ऐसे अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधीन कार्यरत अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा:- (i) वेतनमान पीबी-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 8700/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारियों ; अथवा (ii) वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 7600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) के वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके ऐसे अधिकारी ; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** 5 वर्षों से अधिक नहीं किंतु इसे केंद्र सरकार के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (परिवहन योजनाकार)	1 (एक)	समूह-क	पीबी-4 (37400-67000/-रुपये), श्रेणी वेतन 8700/-रुपये	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ संविदा

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ संविदा के मामले में
6	7	8
48 वर्ष	**शैक्षिक योग्यता** **अनिवार्य :** (i) किसी प्रतिष्ठित प्रोद्यौगिकी संस्था अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री ; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परिवहन योजना में स्नातकोत्तर । **अनुभव** **अनिवार्य:** दायित्व वाले किसी वरिष्ठ पद पर 12 वर्ष की सेवा होनी चाहिए जिसमें से परिवहन परियोजनाओं अधिमान्यतः सड़क परियोजनाओं में मूल्यांकन का न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।	केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में पीबी-4 (37400-67000/-रुपये) के वेतनमान और श्रेणी वेतन 8700/-रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत अथवा वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 7600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके ऐसे अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधीन कार्यरत अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा:- (i) वेतनमान पीबी-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 8700/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारियों ; अथवा (ii) वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 7600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी ; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** 5 वर्षों से अधिक नहीं किंतु इसे केंद्र सरकार के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (भूमि अर्जन और संपदा प्रबंधन)	2 (दो)	समूह-क	पीबी-4 (37400-67000/-रुपये), श्रेणी वेतन 8700/-रुपये	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती/ संविदा

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा के मामले में
6	7	8
48 वर्ष	**शैक्षिक योग्यता** **अनिवार्य :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री । **वांछनीय:** (i) प्रबंधन/व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा । (ii) राजमार्ग/सड़कों का कामकाज देख रहे संगठनों में अनुभव । **अनुभव** **अनिवार्य:** कॉरपोरेट स्तर पर भूमि अर्जन संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के अनुभव सहित समूह-क में 12 वर्ष की सेवा होनी चाहिए ।	उप महाप्रबंधक (भूमि अर्जन और संपदा प्रबंधन) के पद पर तीन वर्ष से नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो, से पदोन्नति द्वारा। अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा द्वारा :- (i) वेतनमान पीबी-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 8700/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी; अथवा (ii) वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 7600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** 5 वर्षों से अधिक नहीं किंतु इसे केंद्र सरकार के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (पर्यावरण)	1 (एक)	समूह-क	पीबी-4 (37400-67000/-रुपये), श्रेणी वेतन 8700/-रुपये	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती/ संविदा

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती/ संविदा के मामले में
6	7	8
48 वर्ष	**शैक्षिक योग्यता** **अनिवार्य :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः किसी भी एक विषय अर्थात पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और प्राणि विज्ञान अथवा कृषि, वनविद्या अथवा इंजीनियरी में स्नातक डिग्री । **वांछनीयः** पर्यावरण विज्ञान /जीव विज्ञान की किसी भी विद्या में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरी। **अनुभव** **अनिवार्यः** पर्यावरण विज्ञान/ पर्यावरण इंजीनियरी के क्षेत्र में/भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित किए गए मानदण्डों के अनुसार पर्यावरण संबंधी अनुमती प्रदान करने के मामलों पर कार्रवाई करने/बड़ी परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने/ पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने संबंधी 12 वर्ष का अनुभव ।	उप महाप्रबंधक (पर्यावरण) के पद पर तीन वर्ष से नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो, की पदोन्नति द्वारा । अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसंरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा द्वारा :- (i) वेतनमान पीबी-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 8700/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी; अथवा (ii) वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 7600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** 5 वर्षों से अधिक नहीं किंतु इसे केंद्र सरकार के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (इलेक्ट्रानिक्स)	1 (एक)	समूह-क	पीबी-4 (37400-67000/-रुपये), श्रेणी वेतन 8700/-रुपये	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती/ संविदा

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती/ संविदा के मामले में
6	7	8
48 वर्ष	**शैक्षिक योग्यता** **अनिवार्य :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन में डिग्री । **वांछनीय:** कम्पयूटर की जानकारी सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स/प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा । **अनुभव** **अनिवार्य:** इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन प्रणाली की जांच, संस्थापन/चालू करने का ज्ञान होना चाहिए ।	उप महाप्रबंधक (पर्यावरण) के पद पर तीन वर्ष से नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो, की पदोन्नति द्वारा । अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा द्वारा :- (i) वेतनमान पीबी-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 8700/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी; अथवा (ii) वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 7600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** 5 वर्षों से अधिक नहीं किंतु इसे केंद्र सरकार के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा ।

indiacode

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उपमहाप्रबंधक (पर्यावरण)	2 (2009)	समूह-क	पीबी-3 (15600-39100/-रुपये), श्रेणी वेतन 7600/-रुपये	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती के मामले में
6	7	8
45 वर्ष	**शैक्षिक योग्यता** **अनिवार्य :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः किसी भी एक विषय अर्थात पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और प्राणि विज्ञान अथवा कृषि, वनविद्या अथवा इंजीनियरी में स्नातक डिग्री । **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पर्यावरण विज्ञान/जीव विज्ञान/पर्यावरण इंजीनियरी की किसी भी विद्या में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा । **अनुभव** पर्यावरण विज्ञान/ पर्यावरण इंजीनियरी के क्षेत्र में सरकारी विभाग में नौ वर्ष का अनुभव ।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रबंधक (पर्यावरण) के पद पर कम से कम तीन वर्ष से नियमित आधार पर कार्यरत विभागीय अभ्यर्थियों जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो, में से पदोन्नति द्वारा । अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा:- (i) वेतनमान पीबी-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 7600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी; अथवा (ii) वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 6600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** सामान्यतः 3 वर्ष होगी किंतु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
सहायक प्रबंधक (सतर्कता)	12 (2009)	समूह-ख	पीबी-2* (9300-34800/-रुपये), श्रेणी वेतन 4800/-रुपये	प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती के मामले में
6	7	8
40 वर्ष	**शैक्षिक योग्यता** **अनिवार्य :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री । **वांछनीय:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री ; अथवा (ii) लोक प्रशासन में डिप्लोमा ; अथवा (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर । **अनुभव** सरकारी विभाग में अनुशासन और सतर्कता संबंधी तीन वर्ष का अनुभव ।	केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा:- (i) पीबी-2 (9300-34800 रुपये), श्रेणी वेतन 4800/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी; अथवा (ii) पीबी-2 (9300-34800 रुपये) और श्रेणी वेतन 4200/-. रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) के वेतनमान वाले पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** सामान्यतः 3 वर्ष होगी किंतु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा ।

*चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर पीबी-3 (15600-39100) श्रेणी वेतन 5400/- रुपये।